



Neutral Citation No.-2026:AHC:9878

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-31764 वर्ष 2025

मोहित आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: ललित कुमार मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक, श्री वीकेएस परमार, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-260 वर्ष 2023 में धारा 302, 34 भ०द०वि० और 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना-तिलहर, जिला: शाहजहांपुर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि चूंकि परीक्षण घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए निकट भविष्य में परीक्षण के समापन की कोई संभावना नहीं है। आवेदक को फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है। सबूत, यदि कोई हो, तो सुनी-सुनाई बातों का है। केवल तीन गवाहों यानी अ०सा०-1, अ०सा०-2 और अ०सा०-3 क्रमशः रंजीत, पतिराम और अनिल के बयान की जांच की गई है। उक्त गवाह अनिल चश्मदीद गवाह नहीं है। बल्कि, उसने घटना के बाद आवेदक को सह-आरोपी व्यक्ति सदवती के साथ घटनास्थल से भागते हुए देखा है। आवेदक 23.4.2023 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है कि पहले से ही तीन गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और उन्होंने आवेदक के खिलाफ गवाही दी है। गवाह अनिल का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आता है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार नहीं है।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अदालत में जांच किए गए तीन गवाहों ने आवेदक के खिलाफ गवाही दी है, मुझे आवेदक को ज़मानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, खारिज किया जाता है।

7. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 14, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)